**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.: 2965**

**उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026**

**उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी छात्र**

**2965. श्री पुष्पेंद्र सरोज:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों से भेदभाव, उत्पीड़न, छात्रवृत्ति से वंचित किए जाने या संस्थागत उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संदर्भित मामलों सहित ऐसी शिकायतों पर मंत्रालय द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने एससी/एसटी छात्रों द्वारा बार-बार उठाई जाने वाली शिकायतों की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी छात्रों को उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र, निगरानी प्रणाली और कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क):** उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों से प्राप्त शिकायतों की संख्या से संबंधित आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

**(ख) से (घ):** उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के छात्रों के साथ भेदभाव को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत निवारण समिति, संपर्क अधिकारी आदि की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए समय-समय पर पत्र जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय वित्तपोषित शिक्षा संस्थाओं को समय-समय पर कई अनुदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने की भी सलाह दी है। उपर्युक्त के अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी संस्थाओं में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े मानदंड तैयार किए हैं।

इसके अलावा, संसद ने दो अधिनियम नामतः सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किए हैं जो छात्रों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा के लिए देश भर में लागू हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को शिकायतों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 14566 पर एक समर्पित 'अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन'(एनएचएए) भी उपलब्ध है।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और चिंतन शिविरों में जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं से निपटने के लिए और अधिक संवेदनशील होने की सलाह दी जाती है।

यदि कोई मुद्दा हो तो छात्र राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के साथ भी उन मुद्दों को उठा सकते हैं।

*****